WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062024-254491
CG-DL-E-01062024-254491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 1946
No. 143]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2024

सं. 06/2024

विषयः दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 का स्थगन।

फा. सं. 01/94/180/104/एएम24/पीसी-4.—जैसा कि दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 को निर्यात मद में सोने/प्लैटिनम/चांदी की मात्रा के संदर्भ में अनुमत छीज़न और मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को संशोधित करने के लिए जारी किया गया था। इस विषय पर उद्योग जगत से परामर्श दिनांक 05. 03. 2024 और 21. 03. 2024 को आयोजित किया गया था। अभी रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अपने क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने वाले अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और हस्तनिर्मित आभूषण निर्माता, विनिर्माण वर्कफ़्लो और प्रक्रिया छीज़न के औचित्य और विभिन्न स्तरो पर प्रतिलाभ पर और अधिक पुष्टि करने वाले आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु उद्योग जगत को एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद/उद्योग जगत से संबंधित मान दंड समिति को अगले एक माह की अवधि के भीतर जानकारी/आंकड़े प्रदान कर सकता है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

तदनुसार, महानिदेशक विदेश व्यापार समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई, 2024 तक स्थगित करते हैं। अंतरिम अवधि के लिए, प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 4.59 और सिऑन ड1 से ड7 के तहत छीज़न मानदंड जो उक्त सार्वजनिक सूचना सं. 05/2024 दिनांक 27.05.2024 के जारी होने से पहले मौजूद थे, बहाल रहेंगे।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार अनुमत छीज़न और सिऑन के पुनर्मूल्यांकन के लिए 31 जुलाई, 2024 तक स्थगित रखा जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE**)**

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28 May, 2024

No. 06/2024

Subject: Abeyance of Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024.

F. No. 01/94/180/104/AM24/PC-4.—Whereas Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 had been issued to modify the wastage permissible and Standard Input Output Norms with reference to Gold/Platinum/Silver content in export item. Industry consultations on the subject had been held on 05.03.2024 and 21.03.2024. Now keeping in view the representation of the Gem & Jewellery Export Promotion Council highlighting the ensuing difficulties to their sector and MSME & handmade jewellery manufacturers, another opportunity to industry for submission of further corroborative data on manufacturing workflow and justification for process wastage and recovery at different stages is being provided. GJEPC/industry may provide information/data to the concerned Norms Committee within a period of next one month.

2. Accordingly DGFT in exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023 as amended from time to time hereby places the Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 in abeyance up to 31st of July, 2024, with immediate effect. For the interim period, wastage norms under Para 4.59 of Handbook of Procedures 2023 and SIONs M1 to M7 as existed prior to issuance of the said Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 stand restored.

Effect of the Public Notice: Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 is kept in abeyance till 31st of July, 2024 for reassessment of permissible wastages and SIONs as per request of GJEPC.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.